

42

निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

पत्रांक..... ७६००
दिनांक..... ०६/०६/२०२४



०६१२—२३३००३५

sfocumdirector-bih@gov.in

प्रपत्र—इ

File No.- 37/2024

औपचंडिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा—०२ के उपधारा—(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम १५(छ)(iii) के अन्तर्गत)

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अश्वनी कुमार,
निदेशक—
Romadiya Construction Pvt. Ltd.

आवेदनकर्ता वास्तुविद्, अजीत सिंह (विशेष आई.डी.नो CA/2012/56055)

विषय—

भवन निर्माण के लिए औपचंडिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत।

महाराय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण खण्ड (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त य उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के अलाक में भवन निर्माणकर्ता अश्वनी कुमार को द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम १५(छ)(iii) के अन्तर्गत औपचंडिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम Romadiya Construction Pvt. Ltd., निदेशक अश्वनी कुमार, पिता—स्व० के शब्द प्रसाद, प्लॉट नं० ४८७, खाता नं० ९३, तौजी नं०—५१५१ / १४५५१, थाना नं० ९९, थाना—गौरीचक, मौजा—फजीलाबाद, जिला—पटना, अधिमोग आवासीय, उप श्रेणी आवासीय, भवन की ऊँचाई १४.३५ (मीटर में) फर्श क्षेत्र ३८८५.०४ वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या ४, तलघर की संख्या ३०, स्लिट/भूरल की संख्या १, भवन के ब्लॉक की संख्या १, प्रत्येक भूजिल का औसत अधिमोग भार ४५, लिफ्ट की संख्या २, फायर लिफ्ट की संख्या १, रैम की संख्या ३०, आपातकमलीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एसिया) की संख्या ३०, फायर टावर की संख्या ३० है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद्/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्थानी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताकार के बाद आपके अनुसार देते अग्रसारित किया जाता है :-

(१) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (लंतर २.५ मी०, दक्षिण २.५ मी०, पूर्व ६.४७ मी०, परिवर्तन ४.५ मी०) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या २, चौड़ाई २.४४.२.१३ (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या २, चौड़ाई २.४४.२.१३ (मीटर)) प्रस्तावित किया गया है।

(२) खुला स्थान एवं पहुँच—

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत्त भवन उपतिथि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम ३.८० मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो २० मिट्रिक टन अग्निशमक याहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई ४.५ मीटर एवं ऊँचाई ५ मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

Romadiya Construction Pvt. Ltd.

Adhikarani Kumar
Director

(3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 समय—समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन जांबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग—अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बोंटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आईएस० गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा। सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईंट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के संपरी भाग में स्थायी बेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी याती दीवाल की छत आस—पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की थीड़ाइ तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होती चाहिए।

(च) तलधर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलधर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक तलधर सीढ़ी होगा।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय—समय पर यथा संशोधित के प्राप्तवानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है—

(क) डोज रील

(ख) बेट राईजर—सह—डाउन कमर सिस्टम (01 अद्व)

(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम

(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम

(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम

(च) स्प्रीक्लर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)

(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता 50000 लीटर

(ज) ओपर डेड याटर टैंक 10000 लीटर क्षमता प्रति ब्लॉक

(झ) एक पम्प हाउस 2280 एल.पी.एम. इलेक्ट्रोक एवं डीजल, 180 एल.पी.एम. जॉकी पम्प, 900 एल.पी.एम. बूस्टर पम्प


(ञ) फायर एक्सटीग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे— बिहार भवन उपविधि, 2014, समय—समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय—समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन नियम विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिनोग के लिए पांचित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं—

(क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

Romadiya Construction Pvt. Ltd.


Adhwani Kumar
Director

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से विविध होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय सीमा के मध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से बायर्ड होगा कि विजली की विफलता की स्थिति में भी यह जीभी रसार तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक रेटिंग सिस्टम का समावेश जीभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर द्युआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्पीकलर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आईएसो 994 गुण रसार के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय—समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्ड क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(vii) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक भंजिल पर लैपिडर भलव के साथ खाड़न कमर सिस्टम एवं होज रील, छत रसार पर 900 एलार्म एलार्म पम्प के साथ होगा। आईएसो 2190 / 1992 तथा संबंधित विधिविधियों का आईएसोआई 994 मार्क्यु अग्निशमन ब्रेक, फायर ब्रेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म व्हार्नर्ट, अग्नि सुरक्षा घमकीला संक्षेत्र एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि नियोग उपाय किये जायेंगे।

(g) तलघर में स्वचालित स्पीकलर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास हार होना चाहिए।

(h) भूतल जल स्टेटिक टैक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुंच सके। ओपर हेल वाटर स्टेटिक टैक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(i) भवन के प्रत्येक भंजिल पर विद्युत केबल सील होनी चाहिए।

(j) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुआ उसी क्षेत्र से सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(l) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान — ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुआ के फैलाव को इन खुला स्थानों से प्रवेश कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि नियोगक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। भंजिलों में सभी खुला स्थान Vertical Enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे Enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(m) भंजिलों के प्रत्येक Vertical Openings यथोद्यित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :—

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते बक्त अधिवासियों को भंजिल दर भंजिल खुले स्थान से आग एवं धुआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रयोग सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली फीट का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक बेन्टिंग सुविधा प्रवान किया जाएगा।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुआ नियोगी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रीशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/तलघर का बन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय—समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेन्टीलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुआ एक फ्लोर से बूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हेलिंग शूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को 80सींट सिस्टम में प्रदान किया

जाएगा, ताकि आप की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धूमा का फैलाव रोका जा सके।

(vii) विद्युत अधिष्ठापन— विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आईएसो/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मृत्यु रूप से अलग नली में दायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्त्वापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी—एनएबीएसी० 2016 और विहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए०एमएसी० योग्य फर्म या व्यवित को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का थ्रेकिंग वारंटुविद्/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वारंटुविद्/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, विहार, पटना) की नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात् निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, विहार, पटना/प्राधिकृत प्रदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटैकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र दाना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशासनों के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जौच हतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित दर्शना होगा। सभी विन्दुओं की जौच से संतुष्टि के बाद असिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिंगत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्थीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापर्स किया जाता है।

अनुलालनका—

- 1) वारंटुविद्, अजीत सिंह
- 2) अध्यक्ष, नगर निगम, पटना।

निदेशक—सह—राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
विहार, पटना

Romadiya Construction Pvt. Ltd.

Ashwani Kumar

Director